

भारत सरकार  
जनजातीय कार्य मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या- 4624  
उत्तर देने की तारीख- 21/08/2025

**राजस्थान में जनजातीय आबादी के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन**

4624. श्री हनुमान बेनीवाल:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान के जनजातीय बहुल जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन अपेक्षित गति से नहीं हो रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उक्त योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि आजीविका संवर्धन और कौशल विकास योजनाओं का लाभ राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों तक सीमित स्तर पर ही पहुंच रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं तथा इन मुद्दों के समाधान के लिए क्या नई नीतियां बनाई जा रही हैं; और

(ग) राजस्थान और देश के अन्य राज्यों के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा क्या है और साथ ही साथ उपयोग की गई तथा उपयोग नहीं की जा सकी धनराशि का राज्यवार/योजनावार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

**(क और ख):** (i) जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित स्कीमें केंद्रीय क्षेत्र स्कीम और केंद्रीय प्रायोजित स्कीम जैसे कि मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उच्चतर शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, पीएमजेवीएम और पीएम-जनमन तथा स्वैच्छिक संगठनों को सहायता के रूप में कार्यान्वित की जा रही हैं। ये केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं और केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें केंद्र सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। राजस्थान भी दोनों क्षेत्रीय स्कीमों में शामिल है।

(ii) अंतराल का अध्ययन करने और स्कीमों की प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए बाह्य अभिकरणों (एजेंसियों) द्वारा नियमित रूप से मूल्यांकन अध्ययन किए जाते हैं।

**(ग):** पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान सहित भारत में जनजातियों के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्कीमों का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक 1 से 9 तक नीचे दिया गया है:

जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के तहत विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा आवंटन और व्यय का ब्यौरा (करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2022-23		2023-24		2024-25	
		टीएसपी आवंटन	टीएसपी व्यय	टीएसपी आवंटन	टीएसपी व्यय	टीएसपी आवंटन	टीएसपी व्यय
1	आंध्र प्रदेश	6144.9	4136.7	6929.09	5162.33	एनआर	एनआर
2	अंडमान और निकोबार	216.08	215.63	224.51	215.87	223.71	100.12
3	असम	1659.3	1584.99	1803.93	एनआर	एनआर	एनआर
4	बिहार	1503.9	1805.03	1280	219.53	1300	एनआर
5	छत्तीसगढ़	24229.94	20485.09	26168.69	एनआर	एनआर	एनआर
6	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	12.01	1.06	1.24	एनआर	एनआर	एनआर
7	गोवा	378.21	279.59	1335.99	835.52	1375.61	618.84
8	गुजरात**	14775.27	14712.79	19581.3	17722.77	22025.81	4480.48
9	हिमाचल प्रदेश	855.4	701.24	857.14	एनआर	890.28	एनआर
10	जम्मू और कश्मीर	109.04	41.03	109.04	3.47	एनआर	एनआर
11	झारखंड	8554.04	7062.21	22676.56	20903.31	21034.21	3867.17
12	कर्नाटक	8468.21	8077.19	10058.13	9786.63	11447.51	1433.69
13	केरल	859.5	768.32	859.5	530.54	859.5	211.97
14	मध्य प्रदेश	40639.38	34143.83	48679.1	40259.96	52202.5	39432.53
15	महाराष्ट्र	11832.2	10983.29	15108.93	13865.19	15360	1114.72
16	मणिपुर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
17	ओडिशा	17012.45	13889.45	21197.98	1192.44	एनआर	एनआर
18	पुडुचेरी	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
19	राजस्थान	23570.96	20635.7	26229.65	22643.56	29593.66	4608.65
20	सिक्किम	1	1	9.15	एनआर	एनआर	एनआर
21	तमिलनाडु	1785.77	1928.73	1593.29	1520.35	1814.73	1128.7
22	तेलंगाना	13838	8782	15233	2354	एनआर	एनआर
23	त्रिपुरा	4517.42	3274.86	5255.81	एनआर	एनआर	एनआर
24	उत्तर प्रदेश	2284.47	1253.63	2080.52	1400.61	1639.13	154.29
25	उत्तराखंड	619.18	369.56	682.8	369.17	717.9	38.58
26	पश्चिम बंगाल	8216.48	8216.48	7772.08	7757.24	6050	2301.68
	<b>कुल</b>	<b>192083.1</b>	<b>163349.4</b>	<b>235727.4</b>	<b>146742.5</b>	<b>166534.6</b>	<b>59491.42</b>

पीएमएएजीवाई स्कीम के तहत वीडोपी (ग्राम विकास योजना) के लिए संवितरित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा  
(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2022-23	2023-24	2024-25	आज की तारीख में कुल निर्मुक्ति
		जारी की गई निधियां	जारी की गई निधियां	जारी की गई निधियां	(2021-22 से 2024-25)
	अन्य अभिकरण (एजेंसियां)	250	0	0	597
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	733.68
3	असम	11538.22	7182.38	5186.19	32649.81
4	बिहार	0	0	0	774.44
5	छत्तीसगढ़	23021.82	0	0	38617.62
6	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	173.23	0	0	173.23
7	गोवा	0	0	0	0
8	गुजरात	19401.76	0	0	35318.54
9	हिमाचल प्रदेश	288.09	0	0	665.12
10	जम्मू और कश्मीर	932.39	0	0	932.39
11	लद्दाख	470.525	0	0	470.525
12	झारखंड	6915.28	0	0	13447.07
13	कर्नाटक	937.48	0	0	3077.38
14	केरल	0	61.19	30	91.19
15	मध्य प्रदेश	27694.54	0	0	39963.3
16	महाराष्ट्र	13485.5	0	0	13485.5
17	मणिपुर	295.47	0	0	723.45
18	मेघालय	3342.3	0	0	3342.3
19	मिजोरम	1818.605	1112.009	1468	4979.44375
20	नागालैंड	2233.97	0	3827.44	6947.94
21	ओडिशा	1001.24	3044.423	0	6817.3425
22	राजस्थान	15269.66	0	0	22494.37
23	सिक्किम	0	0	0	0
24	तमिलनाडु	285.62	855.805	461.37	1888.115
25	तेलंगाना	1681.035	0	1646	5589.215
26	त्रिपुरा	904.48	2737.23	0	4273.49
27	उत्तराखंड	0	0	0	0
28	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0
29	पश्चिम बंगाल	3495.2	0	0	3495.2
	<b>कुल</b>	135436.4	14993.04	12619	241547.66

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान के तहत जारी की गई निधियां (दिनांक 31.03.2025 तक)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2022-23	2023-24	2024-25
		कुल निर्मुक्ति	कुल निर्मुक्ति	कुल निर्मुक्ति
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	9841.55
2	अरुणाचल प्रदेश	7265.30	6740.00	10030.00
3	असम	2300.00	3294.12	4286.23
4	बिहार	1001.01	871.24	524.00
5	छत्तीसगढ़	13578.43	15676.77	14506.46
6	गोवा	667.79	150.00	479.91
7	गुजरात	7549.12	4584.77	2727.27
8	हिमाचल प्रदेश	1655.00	1696.45	2244.23
9	झारखंड	6677.87	14299.82	5147.06
10	कर्नाटक	4297.57	4070.00	4730.26
11	केरल	817.67	1910.44	395.810
12	मध्य प्रदेश	8438.75	15741.70	9183.585
13	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00
14	मणिपुर	1067.36	2456.35	1981.32
15	मेघालय	2904.84	3127.29	2217.40
16	मिजोरम	1654.05	2897.97	2143.80
17	नागालैंड	5863.47	5020.11	2050.50
18	ओडिशा	10150.55	6870.56	10107.95
19	राजस्थान	11002.53	8940.07	4626.61
20	सिक्किम	720.38	1754.38	4485.06
21	तमिलनाडु	0.00	650.49	2019.665
22	तेलंगाना	3114.46	5169.00	13797.00
23	त्रिपुरा	1294.71	4226.39	4151.82
24	उत्तर प्रदेश	1135.85	1353.63	1829.90
25	उत्तराखंड	306.02	964.05	0.00
26	पश्चिम बंगाल	4186.50	4744.40	3549.61
<b>कुल योग</b>		<b>97649.23</b>	<b>117210.00</b>	<b>117057.00</b>

## ईएमआरएस: राज्यों को जारी की गई निधियों का वर्ष-वार विवरण (लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	12,600.57	10,795.05	20,252.60
2	अरुणाचल प्रदेश (पूर्वोत्तर)	1,010.87	693.91	1,998.01
3	असम (पूर्वोत्तर)	1,433.65	2,732.67	10,638.59
4	बिहार	0	8.95	34.12
5	छत्तीसगढ़	19,435.93	15,888.89	75,241.68
6	दादरा एवं नगर हवेली	568.22	163.45	173.77
7	गुजरात	10,088.95	15,667.55	23,739.43
8	हिमाचल प्रदेश	483.18	829.76	1,353.01
9	जम्मू और कश्मीर	1,200.00	891.4	373.56
10	झारखंड	23,562.27	23,915.13	63,365.39
11	कर्नाटक	1,768.84	2,677.67	5,996.19
12	केरल	1,515.66	249	1,030.37
13	लद्दाख	450	800	17.41
14	मध्य प्रदेश	31,817.79	13,157.19	24,589.25
15	महाराष्ट्र	12,919.16	8,525.91	26,849.30
16	मणिपुर (पूर्वोत्तर)	2,369.98	3,044.92	2,325.91
17	मेघालय (पूर्वोत्तर)	800	21,014.66	31,442.72
18	मिजोरम (पूर्वोत्तर)	2,094.54	1,242.52	14,313.18
19	नागालैंड (पूर्वोत्तर)	557.71	18,377.12	698.27
20	ओडिशा	28,164.31	48,934.80	60,184.05
21	राजस्थान	19,463.30	13,687.79	8,532.54
22	सिक्किम (पूर्वोत्तर)	1,047.35	1,118.83	845.00
23	तमिलनाडु	1,098.78	1,099.80	1,738.95
24	तेलंगाना	12,794.53	14,276.17	13,492.34
25	त्रिपुरा (पूर्वोत्तर)	6,435.19	6,670.35	9,946.98
26	उत्तर प्रदेश	596.23	624.14	949.43
27	उत्तराखंड	474.95	1,537.53	3,475.04
28	पश्चिम बंगाल	2,303.67	1,869.70	1,789.50
	<b>कुल</b>	<b>1,97,055.63</b>	<b>2,30,494.86</b>	<b>4,05,386.59</b>

दिनांक 31 मार्च, 2025 तक अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को जारी की गई निधियाँ और उनके लाभार्थियों का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जारी की गई निधियाँ	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जारी की गई निधियाँ	वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान जारी की गई निधियाँ
1	अंडमान और निकोबार			10.00
2	आंध्र प्रदेश		5700.16	3077.06
3	अरुणाचल प्रदेश	267.44		
4	असम	107.41	187.50	100.00
5	बिहार			
6	छत्तीसगढ़		5250.00	
7	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव			
8	गोवा	108.18	52.50	35.96
9	गुजरात	5451.67	6200.00	923.27
10	हिमाचल प्रदेश	79.02	110.00	
11	जम्मू और कश्मीर			
12	झारखंड		5700.00	
13	कर्नाटक	2370.04	3400.00	700.00
14	केरल		436.46	100.00
15	लद्दाख			40.00
16	मध्य प्रदेश	12743.85		5305.06
17	मणिपुर			
18	मेघालय	115.48		70.00
19	मिजोरम		306.89	
20	नागालैंड			
21	ओडिशा	9397.06		2949.80
22	पुडुचेरी			
23	राजस्थान	3530.80		2236.11
24	सिक्किम	17.84		
25	तमिलनाडु	404.46	362.34	60.00
26	तेलंगाना		150.00	
27	त्रिपुरा	1136.76		691.66
28	उत्तर प्रदेश			
29	उत्तराखंड		15.00	70.00
30	पश्चिम बंगाल		2988.85	
	<b>कुल</b>	<b>35730.00</b>	<b>30859.70</b>	<b>16368.92</b>

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त अद्यतन जानकारी के आधार पर।

दिनांक 31 मार्च, 2025 तक अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को जारी की गई निधियाँ और उनके लाभार्थियों का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	जारी की गई निधियां (वित्तीय वर्ष 2022-23)	जारी की गई निधियां (वित्तीय वर्ष 2023-24)	जारी की गई निधियां (वित्तीय वर्ष 2024-25)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह			10.00
2	आंध्र प्रदेश	13356.50	11471.08	12000.00
3	अरुणाचल प्रदेश	9616.49	8000.00	10000.00
4	असम	6845.47	3500.00	7971.00
5	बिहार			443.31
6	छत्तीसगढ़	9330.35	7125.00	7000.00
7	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव		403.75	490.00
8	गोवा	1187.23	526.54	500.00
9	गुजरात	24426.38	35000.00	23122.23
10	हिमाचल प्रदेश			500.00
11	जम्मू और कश्मीर	683.57	746.25	995.00
12	झारखंड		5310.66	20000.00
13	कर्नाटक		22556.05	12500.00
14	केरल		4689.34	2900.00
15	लद्दाख	1891.27	596.25	3500.00
16	मध्य प्रदेश	27048.58	35000.00	25000.00
17	महाराष्ट्र	9026.85	57035.80	11780.64
18	मणिपुर	4137.54	3000.00	2500.00
19	मेघालय	14619.79	8500.00	14507.79
20	मिजोरम	2590.31	2500.00	2400.00
21	नागालैंड	3608.43	3500.00	6200.00
22	ओडिशा	17133.30	13564.10	29400.00
23	पुडुचेरी*	-	-	-
24	राजस्थान	18810.10	22000.00	35000.00
25	सिक्किम	925.44		600.00
26	तमिलनाडु	2854.28	2000.00	2500.00
27	तेलंगाना	23851.18	11250.00	15250.13
28	त्रिपुरा	4522.33	4000.00	7493.90
29	उत्तर प्रदेश		1000.00	1500.00
30	उत्तराखंड		187.50	270.00
31	पश्चिम बंगाल		3405.83	3500.00
	<b>कुल</b>	<b>196465.38</b>	<b>266868.15</b>	<b>259834.00</b>

## आजीविका और स्वास्थ्य से संबंधित पीएम-जनमन की वास्तविक प्रगति

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एनआरएचएम)	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (पोषण 2.0)	जनजातीय कार्य मंत्रालय	
		स्वीकृत एमएमयू	स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्र	स्वीकृत एमपीसी	स्वीकृत वीडीवीके
1	आंध्र प्रदेश	141	192	125	73
2	बिहार	0	59	7	0
3	छत्तीसगढ़	58	191	75	16
4	गुजरात	17	67	39	21
5	झारखंड	55	495	113	35
6	कर्नाटक	5	23	74	33
7	केरल	24	7	15	7
8	मध्य प्रदेश	74	704	125	83
9	महाराष्ट्र	84	178	121	40
10	मणिपुर	0	75	11	2
11	ओडिशा	50	89	74	43
12	राजस्थान	6	51	18	51
13	तमिलनाडु	105	55	60	37
14	तेलंगाना	29	85	73	25
15	त्रिपुरा	6	221	50	30
16	उत्तर प्रदेश	2	1	5	5
17	उत्तराखंड	24	7	15	9
18	पश्चिम बंगाल	14	0	0	5
19	अंडमान और निकोबार	0	0	0	1
कुल योग		694	2500	1000	516



## टीआरआई को जारी की गई निधियां

क्र.सं.	राज्य	जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)			
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	अंडमान और निकोबार	0	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	432.75	219.13	125.00	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	48.63	150.00
4	असम	0	0.00	0.00	270.00
5	बिहार	0.00	0.00	0.00	99.00
6	छत्तीसगढ़	189.04	113.43	250.00	1100.00
7	गोवा	111.75	0.00	50.57	200.00
8	गुजरात	0	0.00	0.00	250.00
9	हिमाचल प्रदेश	114.1	0	0.00	125.00
10	जम्मू और कश्मीर	200	170.84	770.85	100.00
11	झारखंड	13.92	164.96	417.03	200.00
12	कर्नाटक	184.25	0.00	0.00	200.00
13	केरल	0	0.00	0.00	300.00
14	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	99.00
15	मध्य प्रदेश	484.58	0.00	143.08	600.00
16	महाराष्ट्र	0	0.00	0.00	250.00
17	मणिपुर	0	0.00	0.00	140.00
18	मिजोरम	766.65	53.75	550.00	723.14
19	नागालैंड	85	205.000	400.00	600.00
20	ओडिशा	644.76	313.15	600.00	600.00
21	राजस्थान	215.34216	0.00	0.00	0.00
22	सिक्किम	273.3	0.00	0.00	200.00
23	तमिलनाडु	135.09	0.00	25.00	300.00
24	तेलंगाना	548.95	0.00	0.00	1300.00
25	त्रिपुरा	44.29384	0.00	25.00	300.00
26	उत्तर प्रदेश	89.25	0.00	0.00	0.00
27	पश्चिम बंगाल	0	0.00	0.00	0.00
28	मेघालय	66.224	0.00	0.00	100.00
29	उत्तराखंड	1400.75	0.00	948.01	793.86
	कुल	6000	1240.26	4353.17	9000.00

## गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को जारी की गई निधियां

(लाख रुपये में)

वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों (वीओ) को जारी की गई निधियों का ब्यौरा (क्षेत्र-वार) (धनराशि लाख में)									
राज्य	2022-23			2023-24			2024-25		
	शिक्षा	स्वास्थ्य	आजीविका	शिक्षा	स्वास्थ्य	आजीविका	शिक्षा	स्वास्थ्य	आजीविका
आंध्र प्रदेश	175.51	7.51	0.00	33.95	58.24	0.00	105.37	143.72	0.00
अरुणाचल प्रदेश	175.15	38.76	0.00	184.17	21.57	0.00	501.75	137.34	0.00
असम	98.65	115.81	0.00	21.99	99.75	0.00	150.84	133.64	0.00
छत्तीसगढ़	126.72	11.69	0.00	140.64	0.00	0.00	236.02	14.82	0.00
दिल्ली	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.42	0.00	0.00
गुजरात	219.61	65.12	0.00	190.92	108.25	0.00	257.01	81.78	0.00
हिमाचल प्रदेश	226.02	0.00	0.00	437.22	0.00	0.00	578.27	0.00	0.00
जम्मू और कश्मीर	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.28	0.00	0.00
झारखंड	391.28	450.91	39.72	534.03	358.33	26.40	1189.38	1370.67	106.26
कर्नाटक	191.85	98.73	0.00	157.46	89.88	0.00	301.31	219.55	0.00
केरल	41.21	88.27	0.00	0.00	7.53	0.00	44.88	141.87	0.00
लद्दाख	74.33	0.00	0.00	84.54	0.00	0.00	160.14	21.65	0.00
मध्य प्रदेश	1084.66	6.47	0.00	968.62	6.94	0.00	1437.70	0.84	0.00
महाराष्ट्र	1255.67	97.63	5.50	1036.21	0.00	11.32	1329.97	175.67	44.85
मणिपुर	187.28	20.26	0.00	398.03	8.06	0.00	576.07	81.23	0.00
मेघालय	2070.70	61.36	0.00	889.83	25.00	0.00	1847.67	169.67	0.00
मिजोरम	49.24	2.26	0.00	38.69	0.00	0.00	48.90	109.95	0.00
ओडिशा	1943.28	104.92	1.30	4022.76	73.08	0.00	2841.69	42.81	0.97
राजस्थान	210.70	0.00	58.51	196.96	0.00	20.71	394.96	0.00	103.99
सिक्किम	46.81	0.00	0.00	53.16	0.00	0.00	117.11	0.00	0.00
तमिलनाडु	4.69	245.62	0.00	17.43	359.87	0.00	2.97	186.13	0.00
तेलंगाना	39.99	0.00	0.00	96.98	0.00	0.00	168.83	39.20	0.00
त्रिपुरा	95.69	0.00	0.00	42.09	0.00	0.00	186.63	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	61.49	0.00	0.00	51.03	0.00	0.00	140.36	0.00	0.00
उत्तराखंड	112.93	0.00	0.00	44.30	0.00	0.00	98.68	0.00	0.00
पश्चिम बंगाल	348.53	127.57	0.00	959.29	208.50	0.00	1022.08	368.10	0.00
<b>कुल</b>	<b>9277.08</b>	<b>1542.89</b>	<b>105.03</b>	<b>10600.29</b>	<b>1424.99</b>	<b>58.43</b>	<b>13805.29</b>	<b>3438.63</b>	<b>256.08</b>

\*\*\*\*\*